अध्याय – 26
सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ
(Generalist Vs Specialist)

लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण समस्या सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ प्रशासकों के आपसी संबंधो की है। परम्परागत प्रशासन में सामान्यज्ञ प्रशासकों का जो वर्चस्व था,वह कमोबेश रुप से आज भी बना हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के सामाजिक–आर्थिक उद्देश्यों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है और प्रौद्योगिकीय विकास ने हमारे समक्ष अनेक नयी चुनौतियॉ और जटिल समस्याएँ उत्पन्न कर दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे देश का प्रशासनिक ढाँचा चर्चा एव विवाद का विषय बना हुआ है। प्रश्न यह है कि हमारी विकासोन्मुख व्यवस्था में सामान्यज्ञ प्रशासक'की भूमिका क्या है ?

सामान्यज्ञ–विशेषज्ञ विवाद :

लोक प्रशासन में सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों दोनों को ही एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना होता है। वस्तुत उनमे कोई अर्न्तविरोध नहीं है अपितु वे दोनो एक दूसरे के अनुपूरक है। पिछले एक दशक मे सामान्यज्ञों और विशेषज्ञो के बीच जो विवाद सुनाई दे रहा है वह हमें ब्रिटिश साम्रज्य से विरासत में मिला है इस विवाद को समझने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ का अभिप्राय क्या है ?

सामान्यज्ञ एव विशेषज्ञ से अभिप्राय :

सामान्यज्ञ लोक सेवक वह है जिसकी कोई विशेष शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, किन्तु वह प्रशासनिक प्रक्रियाओं, नियमों तथा विनियमों का अच्छा ज्ञान रखना है। उसे प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में नियुक्त किया जा सकता है। वह प्रबधक वर्ग का सदस्य होता है तथा नियमों, उपनियमों एवं पद्वति व्यवस्था में पूर्ण पारंगत होता है। और सामान्यतः पोस्डकॉर्ब गतिविधियों (नियोजन, संगठन , स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन एवं बजट) संबंधी कार्यो का सम्पादन करता है। दूसरी और विशेषज्ञ लोक सेवक वह है जिसे प्रशासन के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता या कौशल प्राप्त हो। इनकी भर्ती व्यावसायिक, वैज्ञानिक अथवा तकनीकी योग्यता एवं ज्ञान के आधार पर की जाती है सामान्यज्ञों की तरह विशेषज्ञ हरफनमौला नही होता। इस दृष्टि से डॉक्टर,, इजीनियर, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, अर्थशास्त्री आदि की सेवाओं को विशेषज्ञ श्रेणी में रखा जा सकता हैं।

सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों में अन्तर :

आधार	सामान्यज्ञ	विशेषज्ञ
शैक्षणिक योग्यताऐं	विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय में स्नातक	विशिष्ट प्रकार की , विशिष्ट विषय में तकनीकी शिक्षा में उपाधिधारक
कार्य	मुख्यतःनियामकीय गतिविधियों–नियोजन, संगठन, कार्मिक प्रबन्ध, निर्देशन, समन्वयक, प्रतिवेदन तथा वित्तीय प्रशाासन से संबंधित	मुख्यता अपने विषय क्षेत्र से संबंधित तकनीकी गतिविधियों का सपादन।
दृष्टिकोण	व्यापक	संकुचित (अपने विषय क्षेत्र के दायरे में सीमित)
पद स्थिति	उच्च प्रबंधकीय पद	अपेक्षाकृत निम्नस्तरीय पद
वेतनमान एव अन्य सुविधाऐं।	उच्च पदों पर होने के कारण अधिक वेतन एव सुविधाऐं	सामान्यज्ञों की तुलना में वेतन एवं अन्य सुविधाऐ कम
गतिशीलता	काफी अधिक पूरे कार्यकाल में अनेक विभागो में कार्य करने का अवसर	सिर्फ अपने विषय क्षेत्र के विभाग तक सीमित
नीति निर्माण में भूमिका	राजनीतिक प्रमुख से नजदीकी के चलते प्रमुख भुमिका अदा करते है।	मुख्यतः नीति कियान्वयन से संबधित
प्रकृति	ढृढ, नियमों पर अत्यधिक बल	व्यवहारिक वास्तविकता पर आधारित।
उदाहरण	जिलाधीश,तहसीलदार,संभागीय आयुक्त इत्यादि	डॉक्टर,वैज्ञानिक,इंजीनियर इत्यादि।

ब्रिटेन की फुल्टन समिति ने अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शासन में विशिष्ट पदो पर कार्य करने वालो को 'विशेषज्ञ'माना था तथा प्रशासकीय एवं कार्यपालक श्रेणीयों से सम्बद्व कर्मचारियों को 'सामान्यज्ञ' 'कहा था। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में सेवीवर्ग प्रशासन पर आयोजित सम्मेलन में सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों को इस प्रकार परिभाषित किया गया था –''ऐसा मेधावी नवयुवक या युवतियाँ जिन्होंने महाविद्यालय में किसी विषय में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करके प्रतियोगी परीक्षा द्वारा किसी सेवा में चयनित होकर प्रशासनिक प्रशिक्षण पाया हो तथा बाद में उन्हें उच्च स्तरीय निरीक्षणात्मक पदों पर नियुक्त किया गया हो जहा कोई अनिवार्य तकनीकी या व्यवसायिक अर्हता निर्धारित नही है। ये अधिकारी अनुभव तथा प्रशिक्षण का लाभ उठाकर उच्च प्रशासकीय पदो पर नियुक्त होते है तथा सामान्यज्ञ कहलाते है। इसी प्रकार विशेषज्ञ अधिकारी वे है–जो किसी पद पर निर्धारित् अनिवार्य तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता के कारण भर्ती हुए है तथा ये पद मध्य स्तरीय निरीक्षणात्मक प्रकृति के है''।

सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ में विवाद :

ऐतिहासिक परिदृश्य : सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ में विवाद के बीज ब्रिटेन की ''नॉर्थकोट ट्रैवेलियन रिपोर्ट (1853) तथा 1854 की मैकाले रिपोर्ट में बोये गये थे। इन दोनो प्रतिवेदनों में यह कहा गया था कि 18 से 22 वर्ष आयु के सामान्य शिक्षा प्राप्त योग्य और होनहार उम्मीदवार ही लोक सेवाओं के समुचित आधार बन सकते है । इसी दर्शन से आई. सी.एस सेवाओं की शुरुआत हुई जो अब आई.ए.एस. कहलाती है इस प्रकार इन सेवाओं में चयनित सामान्यज्ञ प्रशासको को उच्च पदस्थिति प्रदान की गई और विशेषज्ञों एवं तकनीकी सेवाओं को निम्न। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पंडित नेहरु ने विशेषज्ञों की जरुरत को मानते हुए आह्वान किया था –''भारत को तीव्र गति से विकास करने के लिए डॉक्टर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए और अन्य विशेषज्ञ चाहिए जो देश की किस्मत पलट सकें। जिससे भारत की लोक सेवाओ में विशेषज्ञों का प्रवेश तो आरम्भ हुआ साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में सामान्यज्ञों का वर्चस्व बना रहा। ब्रिटेन में फुल्टन समिति की रिपोर्ट से 1968 में समिति ने विशेषज्ञों को बेहतर दर्जा देने की पुरजोर सिफारिश की थी । साथ ही सिविल सेवा के व्यावसायीकरण का भी सुझाव दिया था । उसके बाद ब्रिटेन में विशेषज्ञों की स्थिति में सुधार हुआ है, यद्यपि सामान्यज्ञों की स्थिति आज भी सर्वोच्च है। भारत में भी द्वितीय वेतन आयोग तथा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966–70) ने विशेषज्ञ श्रेणी के सदस्यों के दर्जे और स्थिति में सुधार लाने की सिफारिश की थी पर थोड़े बहुत बदलाव के साथ पुरानी प्रणाली ही कायम है।

वर्तमान स्थिति :

वर्तमान में सामान्यज्ञ – विशेषज्ञ विवाद को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है : भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधि विभिन्न विभागों के प्रमुख के तौर पर कार्य करते है यद्यपि वे प्रशासनिक विशेषज्ञ नही होते, इसलिए इन्हें प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराने के लिए सामान्यज्ञ विभाग में सचिव के रुप में कार्यरत होते है, जिससे सामान्यज्ञ को राजनीति प्रमुख से सान्निध्य का लाभ मिलता है, जो विशेषज्ञों को उनकी निम्न पद स्थिति के कारण संभव नही होता।

1. सामान्यज्ञों का वेतन और उनकी सेवाशर्ते विशेषज्ञों की तुलना में बेहतर है। विशेषज्ञों की यह सबसे बडी परिवेदना है।
2. केन्द और राज्य सरकार स्तर पर अधिकाश उच्च पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों अर्थात् सामान्यज्ञों के लिए सुरक्षित है इन उच्च पदों पर विशेषज्ञों की तैनाती नही की जाती।
3 बिना किसी तकनीकी ज्ञान के सामान्यज्ञ नीति एव कार्यक्रम बनाते हैं, जिन्हें विशेषज्ञों को क्रियान्वित करना पडता है।
4.विशेषज्ञों के विचारों और प्रस्तावों तथा उनकी सलाहो पर सामान्यज्ञ ध्यान नहीं देते क्योकि वे विशेषज्ञों को अपने अधीन मानते है।
5. जिला स्तर पर जिला प्रशासन प्रमुख का पद भी सामान्यज्ञ लोक सेवक द्वारा धारित किया जाता है । जिला प्रशासन के अधीन कई तकनीकी विभाग है, जिनके प्रमुख विशेषज्ञ लोक सेवक होते हैं।
6. विशेषज्ञों के कार्य निष्पादन का आंकलन सामान्यज्ञों द्वारा किया जाता है।
7. सामान्यज्ञों की सेगठनात्मक गतिशीलता, विशेषज्ञों की तुलना में अधिक है। सामान्यज्ञ एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्त होते रहते है जबकि विशेषज्ञों की नियुक्ति संबंधित् विभाग तक ही सीमित है।
8. विशेषज्ञों के लिए निर्धारित पदों पर भी सामान्यज्ञों का वर्चस्व बना हुआ है।

उपर्युक्त कारणों से विशेषज्ञों में असंतोष को भावना व्याप्त है जिसके परिणामस्वरुप उनका मनोबल एव कार्यकुशलता पर भी प्रभाव पड़ा है।

प्रशासन में सामान्यज्ञों की भूमिका के पक्ष में तर्क :

उपर्युक्त विवाद के बावजूद आज भी विद्वानों का एक वर्ग सामान्यज्ञों को महत्वपूर्ण भूमिका के पक्ष में है सामान्यज्ञों की भूमिका के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते है–

1. सामान्यज्ञ अपनी क्षमता, योग्यता और व्यापक अनुभव के कारण, उच्च प्रबंधन स्तर पर कार्यों के निष्पादन में विशेषज्ञों की तुलना में अधिक उपयुक्त है।
2. सामान्यज्ञ सेवाओं का एक अन्य प्रमुख गुण उनका जिला प्रशासन संबंधी अनुभव है। जिससे उन्हें राजस्व एवं न्याय संबंधी अनुभव प्राप्त होते है। जिला प्रशासन के दौरान उन्हे जनता के साथ सीधा संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि –''भारत पर शासन शिमला या कलकत्ता से हो सकता है परन्तु उसका प्रशासन मैदानों से हो रहा है'' भारतीय प्रशासन परम्परागत रुप से क्षेत्र प्रशासन के सिद्वान्त पर आधारित है। भारत के स्वतंत्र होने पर भी इसमें कोई फर्क नही पडा। आज भी गांव, तहसील, खण्ड, जिला, संभाग प्रशासन के विभिन्न स्तर हैं। इन स्तरों पर प्रबंधकीय कार्य करने के लिए सामान्यज्ञ लोक सेवक का होना आवश्यक है।

4. सामान्यज्ञों के पक्ष में एक मुख्य तर्क यह है कि वे उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण के होते हैं जबकि विशेषज्ञ पूर्वाग्रह से मुक्त नही हो पाता। उसका दृष्टिकोण अपने विषय क्षेत्र तक सीमित होने के कारण संकुचित होता है। अपने विषय को केन्द्र में रखकर निणय लेने के कारण वह परिस्थितियों को समग्रता में देख पाने में असमर्थ होता है। इसलिए पॉल.एच. एपलबी ने कहा है कि –''विशेषज्ञता का मूल्य हर प्रकार का संकीर्णतावाद है''।
5. सामान्यज्ञ अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण अनुभवहीन मंत्री और विशेषज्ञ के बीच, जनता और सरकार के बीच तथा दबाव समूहो और जनहित के बीच प्रभावी मध्यस्थ की भूमिका अदा करते है।
6. सामान्यज्ञ सचिवालयी कार्यो के सपादन में मंत्रियों को जो सहायता और परामर्श देते है वह तकनीकी पक्ष के साथ–साथ व्यवहारिकता के अत्यन्त नजदीक होता है क्योंकि वे व्यावहारिक पक्ष और कठिनाइयों से भली भांति अवगत रहते है।

हेरॉल्ड लास्की लिखते है ''प्रशासनिक निर्णय लेने में विशेषज्ञों की सीमाएँ है अपने कार्यमूलक ज्ञान को ग्रहण करते करते विशेषज्ञ सामान्य ज्ञान की बलि चढा देते है'' वही थोर्सटीन वेबलीन के अनुसार –''विशेषज्ञों से अभिप्राय 'प्रशिक्षित अयोग्यता' से ही होता है।

''विशेषज्ञों के पक्ष में तर्क :

प. जवाहर लाल नेहरु ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि ''यह धारणा गलत है कि प्रशासनिक सेवा सब सेवाओं से उच्च है एक यांत्रिक प्रशासक के रुप में कार्य कर सकता है परन्तु एक प्रशासक यांत्रिक के बिना कार्य नहीं कर सकता । इसी प्रकार का मत ब्रिटेन की फुल्टन समिति और भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग का भी था। विशेषज्ञों की प्रशासन में भूमिका के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते है :

1. प्रशासन एक जटिल और तकनीकी प्रकिया है अतः प्रशासनिक कार्यो को सही उचित तथा तर्कपूर्ण ढग से संपादित करने के लिए विशेषज्ञ ज्ञान होना आवश्यक बन गया है। ऐसी स्थिति में विभागीय प्रशासन का संचालन करने के लिए सामान्यज्ञ प्रशासक के स्थान पर विशेषज्ञ को प्रतिष्ठित करना आवश्यक हो गया है।
2. विशेषज्ञ अधिकारी तकनीकी बारीकियाँ भली भाँति समझते हैं उनके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की तकनीकी जटिलता को सामान्यज्ञ नही समझ पाते है इसीलिए सामान्यज्ञ के लिए यह कहा जाता है कि वे 'हरफनमौला तो है किंतु माहिर किसी में नही ''।
3. आज का युग 'व्यापक से सूक्ष्म' तथा 'सामान्य से विशेषीकरण' की और है। जिसमें 19वीं सदी में ब्रिटेन एव भारत में ''बुद्धिमान नौसीखियों'' के सिद्वांत पर विकसित सामान्यज्ञ सेवा उपयुक्त नही है।
4. सामान्यज्ञों को भी परम्परागत नियामकीय कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है जो विकास प्रशासन के लिए उपयुक्त नही है।
5. सामान्यज्ञ अधिकारी औपचारिकता, लालाफीताशाही और नियमों पर आवश्यकता से अधिक बल देते हुए इनका कठोरता से पालन करते हैं। जिससे विभिन्न प्रशासकीय कार्यों की पूर्णता में अनावश्यक विलम्ब होता है। जबकि विशेषज्ञ अधिकारी कार्य निष्पादन पर बल देते हैं।
6. सामान्यज्ञ प्रशासक, औपेनिवेशिक व्यवहार से मुक्त नही हो पाए है आज भी उनमें सर्वोपरि होने का अहम व्याप्त है।
7. कुछ विभाग जैसे कृषि, चिकित्सा, विधि, इत्यादि की प्रकृति तकनीकी है जिससे इनकी बागडोर सामान्यज्ञ की बजाय विशेषज्ञ ही प्रभावी ढंग से सभाल सकते हैं इन विषयों में निरन्तर शोध एव अनुसंधान की आवश्यकता भी विशेषज्ञ का समर्थन करती है।

प्रशासनिक सुधार आयोग (1966–70) के अध्यक्ष के. हनुमन्नैया ने विशेषज्ञों का समर्थन करते हुए लिखा है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के इस युग में नीति–निर्माण और प्रशासन के उच्च स्तरो पर विशिष्टता से विभूषित विशेषज्ञों के परामर्श को सबसे अधि महत्व दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रशासन में व्याप्त समान कार्य के लिए असमान वेतन की असंगति को दूर करना अपरिहार्य है, ताकि लोक सेवा में पायी जाने वाली ईर्ष्या और तुच्छ मनोवृति को दूर किया जा सके।

समाधान– भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों का यह विवाद प्रशासन के लिए शुभ नही माना जा सकता। इसने प्रशासन की कार्यकुशलता को नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया है। इसलिए विभिन्न समितियों, आयोगों एवं प्रशासनिक चिन्तकों ने इस विवाद पर गंभीर चिंतन किया है । इस विवाद के समाधान हेतु प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है :

1. भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन दो भागों में करके यह निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि कौन–कौन से विभाग सामान्यज्ञ के अधीन होंगे एवं कौनसे विशेषज्ञ के ।
2. नये तकनीकी विषयों में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए यथा चिकित्सा, शिक्षा, कृषि इत्यादि। इन सेवाओं के व्यक्तियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के समकक्ष दर्जा एव सुविधाऐं दी जानी चाहिए।
3. सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों को साथ–साथ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे एक दूसरे के पद की वास्तविकताओं और चुनौतियों को समझ सकें ।
4. पदसोपानिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। विश्व में प्रचलित प्रणालियों में से कुछ विचारणीय प्रणालियाँ निम्नलिखित है :

(अ) पृथक पद सोपान : इस प्रणाली में विशेषज्ञ को अधिक मान्यता प्राप्त होती है। वेतनक्रम दोनों का समान होता है लेकिन पदसोपानीय व्यवस्था पृथक पृथक होती है। यह प्रणाली जर्मनी, स्वीडन, आस्ट्रेलिया आदि देशों में प्रचलित होती है।

(ब) समान्तर पद सोपान : इस व्यवस्था में यद्यपि पृथक–पृथक पदासोपान व्यवस्था होती है किन्तु सामान्यज्ञ–विशेषज्ञ दोनों साथ मिलकर कार्यों का सम्पादन करते है। उदाहरणार्थ महानिदेशक (स्वास्थ्य) एवं सचिव (स्वास्थ्य) साथ मिलकर कार्य करें।

(स) संयुक्त पद सोपान : इस प्रणाली में वरिष्ठ सामान्यज्ञ के अधीन एक सामान्यज्ञ और एक विशेषज्ञ अधिकारी एक साथ कार्य करते है इस प्रकार दो विपरीत विचार धाराओं वाले व्यक्ति सामंजस्य बैठाते हैं स्वास्थ्य सचिव के अधीन निदेशक (स्वास्थ्य) और उप सचिव कार्य करें ।

(द) एकीकृत पदसोपान : इस प्रणाली में सभी पृथक–पृथक सेवाऐं तथा संवर्ग एक ही जगह एकीकृत कर दिये जाते है एक जैसी भती एक जैसा वेतनमान तथा समान सेवा शर्ते हो जाती हैं 1973 से पाकिस्तान में यही व्यवस्था लागू है।

5. प्रशासनिक सुधार आयोग ने सामान्यज्ञ – विशेषज्ञ विवाद के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझााव प्रस्तुत किए। आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओ के क्रियाशीलकरण (Functionalisation) का सुझाव देकर उसे कार्यमूलक (Functional) बनाने पर बल दिया फुल्टन समिति ने इससे पूर्व ब्रिटेन में दो प्रकार की विशेषज्ञता को बताया था। एक तो वह अपने कार्य में दक्ष होता है और वह दक्षता प्रशिक्षण एव निरन्तर अभ्यास से प्राप्त होती है दूसरे उसे विभिन्न विषयों सहित मौलिक एव गभीर ज्ञान प्राप्त होता है जिससे वह अपने कार्यक्षेत्र में सरलता का अनुभव करता है । इन दोनों को समिति ने व्यवसायिक बताया था। अर्थात अभ्यास से प्राप्त ज्ञान को भी विशेषज्ञता की संज्ञा दी थी। इस प्रकार प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में सेवाओ को दो भागो में विभक्त करने की सलाह दी।

1. कार्यात्मक सेवाएँ। 2. गैर कार्यात्मक सेवाएँ।

अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए एक कार्यपरक क्षेत्र अलग किया जाए जिसमें भू–राजस्व, मजिस्ट्रेट संबधी एवं अन्य विनियमन के कार्य शामिल है। जो अन्य किसी सेवा में न शामिल हो। जिसमें कार्य करते–करते अभ्यास से अधिकारी विशेषज्ञ हो जाए आयोग का मानना था कि भारतीय आई. ए. एस. को सामान्यज्ञ सेवा नही माना जाए इसकी भूमिका पूरी तरह कार्यमूलक हो।

2. आयोग का सुझाव था कि उच्च सेवाओं के पदों को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए : प्रथम क्षेत्र (Field) के पद , ये पद तकनीकी योग्यताधारी एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को दिया जाए तथा द्वितीय मुख्यालय (Headquarter) के पद, इन पदों पर सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ अधिकारियों को संयुक्त रूप से आवश्यकतानुसार लगाया जाना चाहिए।
3. एक तार्किक वेतन ढाँचा अपनाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक कार्य की वास्तविक जिम्मेदारियाँ सामने आ सकें।
4. लोक उद्यमों में निदेशक के पद पर सामान्यज्ञों को नियुक्त करने की प्रथा बंद होनी चाहिए।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रशासन में सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ दोनों अनुपूरक है। दोनों में वर्गीकरण सतही है। फुल्टन समिति ने भी कहा था कि हमारा उद्देश्य सामान्यज्ञों द्वारा विशेषज्ञों को और विशेषज्ञों द्वारा सामान्यज्ञों की प्रतिस्थापित करना नहीं है। अतः सामान्यतः एवं विशेषज्ञ प्रशासन के एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों में समन्वय एंव सहयोग से ही लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

1. ब्रिटिश प्रशासन के समय से ही भारतीय प्रशासन में सामान्यज्ञों का वर्चस्व कायम है। उन्हें विशेषज्ञों की तुलना में अत्यधिक महत्व एवं सम्मान प्राप्त है।
2. सामान्यज्ञ प्रशासक से अभिप्राय ऐसे लोक सेवक से है, जिसकी कोई विशेष पृष्ठभूमि या आधार नहीं होता और उसे आसानी से शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तिरत किया जा सकता है। 3. विशेषज्ञ प्रशासक से अभिप्राय तकनीकी योग्यताधारी या विषय विशेष में योग्यता रखने वाले लोक सेवक से है। कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, अभियान्त्रिकी इत्यादि के अधिकारी विशेषज्ञ की श्रेणी में आते हैं।
4. दोनों के मध्य विवाद के प्रमुख कारण निम्नलिखित है :

(1) भारतीय प्रशासन में सामान्यज्ञों की उच्च स्थिति, वेतन तथा अन्य सुविधाऐं विवाद का मुख्य कारण हैं। (2) नीति निर्धारण एवं निर्णयन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर सामान्यज्ञों का वर्चस्व।

(3) विशेषज्ञों के लिए निर्धारित पदों पर सामान्यज्ञों की नियुक्ति ।

(4) विशेषज्ञों के प्रस्तावों एवं सलाहों पर सामान्यज्ञों द्वारा ध्यान नहीं देना।

5. प्रशासन में सामान्यज्ञों की भूमिका के पक्ष में तर्क :

(1) सामान्यज्ञ अपनी क्षमता, योग्यता और व्यापक अनुभव के कारण उच्च प्रबंधन स्तर पर विशेषज्ञों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं।

(2) सामान्यज्ञ सेवाओं का मुख्य गुण जिला प्रशासन संबंधी अनुभव है।

(3) सामान्यज्ञ का उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण उन्हें विशेषज्ञ की संकीर्णता से बेहतर बनाता है।

(4) सामान्यज्ञ मंत्रियों को व्यवहारिकता से परिपूर्ण परामर्श देने में सक्षम होते है।

6. प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका के पक्ष में तर्क :

(1) प्रशासन एक जटिल और तकनीकी प्रक्रिया है अतः प्रशासनिक कार्यों को सही, उचित और तर्क पूर्ण ढंग से सम्पादित करने के लिए विशेषज्ञ ज्ञान आवश्यक है। (2) विशेषज्ञ प्रशासक लालफीताशाही, औपचारिकता, नियमों को अधिक महत्व देने वाले सामान्यज्ञ प्रशासकों की बुराईयों से दूर होते है। (3) विशेषीकरण के युग में, उद्देश्यों की प्राप्ति विशेषज्ञ दृष्टिकोण से ही संभव है।

6. दोनो के सम्बन्ध मधुर बनाने हेतु सुझाव :

(1) भारतीय व्यवस्था का पुनर्गठन करके पहले ही यह निर्धारित कर दिया जाए कि अमुक विभाग सामान्यज्ञ के एवं अमुक विभाग विशेषज्ञ के अधीन रहेगा। (2) दोनों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। (3) नई विशेषज्ञ अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाए। (4) अन्य देशों में प्रचलित पद सोपान प्रणाली को अपना कर संबंध मधुर बनाए जा सकते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न :

1. निम्नाकिंत में विशेषज्ञ कौन है ?
(अ) जिलाधीश (ब) तहसीलदार
(स) संभागीय आयुक्त (द) डॉक्टर
2. जिलाधीश, तहसीलदार आदि की सेवाओं को किस वर्ग में रखा जा सकता है ?
(अ) सामान्यज्ञ वर्ग (ब) विशेषज्ञ वर्ग
(स) सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
3. आई.सी.एस. सामान्यज्ञ सेवा का सृजन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया ?
(अ) नार्थकोट–ट्रेवेलियन आयोग
(ब) ली आयोग
(स) ऐचिसन आयोग
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
4. 'हरफन मौला तो है किन्तु माहिर किसी में नहीं'' किस प्रशासक के लिए कही गई कहावत है ?
(अ) सामान्यज्ञ (ब) विशेषज्ञ
(स) सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ (दोनों) (द) कोई नहीं।
5. ''विशेषज्ञता का मूल्य हर प्रकार का संकीर्णवाद है।'' किसने कहा है ?
(अ) पॉल एच. एपिलबी (ब) हरमन फाइनर
(स) हेराल्ड लास्की (द) थोर्सटीन वेबलीन।
6. भारत के अतिरिक्त किस देश में सामान्यज्ञों की प्रधानता है ?
(अ) पाकिस्तान (ब) जर्मनी
(स) ब्रिटेन (द) ऑस्ट्रेलिया
7. सामान्यज्ञ–विशेषज्ञ संबंध में विवाद का मुख्य कारण सामान्यज्ञों की प्रधानता है।
(अ) पद में (ब) वेतन में
(स) नीति निर्माण में (द) उपर्युक्त सभी ।
8. अखिल भारतीय सेवाओं के क्रियाशीलकरण का सुझाव किस ने दिया था ?
(अ) सतीश चन्द्रा समिति (ब) होता समिति
(स) मेहता समिति (द) प्रशासनिक सुधार आयोग

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. सामान्यज्ञ को परिभाषित कीजिए।
2. विशेषज्ञ से आप क्या समझते है ?
3. सामान्यज्ञ श्रेष्ठ है। दो तर्क लिखिए।
4. सामान्यज्ञ–विशेषज्ञ विवाद के दो मुख्य कारण लिखें।
5. भारतीय प्रशासन में विशेषज्ञ के पक्ष में तर्क दीजिए।
6. विशेषज्ञ सेवाओं के कोई तीन उदाहरण लिखिए।
7. एकीकृत सोपानीय व्यवस्था किस देश में और कब से प्रचलित है ?
8. ''सामान्यज्ञ सेवा के बीज नार्थकोट ट्रेवेलियन समिति की अनुशंसा में निहित है।'' स्पष्ट करें।

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के मध्य अन्तर को स्पष्ट करें।
2. सामान्यज्ञ–विशेषज्ञ विवाद के मुख्य आधार क्या हैं ?
3. ''हरफनमौला है पर माहिर किसी में नही'' उक्त कथन को स्पष्ट करें।
4. सामान्यज्ञ–विशेषज्ञ संबंधों को बेहतर बनाने हेतु सुझाव दें।
5. ''सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ एक दूसरे के अनुपूरक हैं। उक्त कथन को स्पष्ट करें।
6. भारतीय प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका के पक्ष में तर्क दीजिए।
7. सामान्यज्ञ–विशेषज्ञ विवाद के समाधान हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख कीजिए।
8. ''भारतीय प्रशासन में सामान्यज्ञों की श्रेष्ठता जरूरी है।'' तर्क दीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न :

1. सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ में अन्तर को स्पष्ट करते हुए उनके मध्य विवाद के कारणों पर प्रकाश डालिए।
2. सामान्यज्ञ प्रशासक से क्या अभिप्राय है ? प्रशासन में उनकी भूमिका के पक्ष में तर्क दीजिए।
3. विशेषज्ञ प्रशासक से क्या अभिप्राय है ? प्रशासन में उनकी भूमिका के पक्ष में तर्क दीजिए।
4. ''सामान्यज्ञ–विशेषज्ञ एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है'' इस कथन को स्पष्ट करते हुए दोनों के मध्य बेहतर संबंधों हेतु सुझावों को प्रस्तुत करें।

उत्तरमाला :

1. (द)	2. (अ)	3. (अ)	4. (अ)
5. (अ)	6. (स)	7. (द)	8. (द)